

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 792 / 234 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 3.8.09

// आदेश //

विषय:- इतिहास विषय के सहायक प्राध्यापकों का वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन।  
संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ-7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार इतिहास विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान रूपये 3000-100-3500- 125-5000/10000-325-15200 में स्थानन किया जाता है :-

क्रमांक	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
01	0810286	डॉ० शोभना पांडे	शासकीय एम.के.बी. कन्या महाविद्यालय, जबलपुर	01. 04. 1996
02	0810315	श्रीमती उषा महोबिया	शासकीय पी.जी. कन्या महाविद्यालय, किला भवन इंदौर	22. 09. 1999
03	0810322	श्रीमती वंदना पाण्डे	शासकीय महाविद्यालय, औबेदुल्लागंज	16. 10. 1994
04	0810044	डॉ० भुवनेश्वर त्यागी	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, शुजालपुर	24. 12. 2003

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

- जिन सहायक प्राध्यापकों का 01.01.1996 के पूर्व वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये 3000-5000 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।
- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त कर वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे।

3.8.2009

(आशीष उपाध्याय)  
आयुक्त  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 793 // 2 //  
प्रतिलिपि:- /234/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक  
3-8-09

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

*Ashwini*  
3.8.2009  
आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

**कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन**  
**सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004**

कमांक

**790** / 234/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक

**3-8-09**

//आदेश//

विषय:- इतिहास विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, कमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, कमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, कमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, कमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, कमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 कमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं कमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार इतिहास विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर वेतनमान रुपये 3700-5700/12000-420-18300 में स्थानन किया जाता है:-

**विषय - इतिहास**

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
1.	0810081	डॉ. गीता चौधरी	इतिहास	शा. पीजी महा., महु	30.06.04
2.	0810288	श्रीमती श्रद्धा दुबे	इतिहास	शा. पीजी कन्या महा., किला भवन, इन्दौर	20.09.04
3.	0810315	श्रीमती उषा महोबिया	इतिहास	शा. पीजी कन्या महा., किला भवन, इन्दौर	22.09.04
4.	0810120	डॉ. कुमार रत्नम	इतिहास	शा. एमएलबी महा., ग्वालियर	24.12.07
5.	0810079	श्री जी.आर. चौहान	इतिहास	शा. पीजी महा., देवरी, सागर	01.04.07
6.	0810027	डॉ. अर्चना देवलिया	इतिहास	शा. एमकेबी महिला महा., जबलपुर	01.04.05
7.	0810303	डॉ. सुशील कुमार	इतिहास	शा. एमएलबी महा., ग्वालियर	24.12.07
8.	0810281	डॉ. शिवा खण्डेलवाल	इतिहास	शा. पीजी कन्या महा., मोतीतबेला, इन्दौर	01.04.07
9.	0810263	डॉ. सत्यप्रभा चौहान	इतिहास	शा. कला एवं वाणिज्य महा., इन्दौर	01.04.06

*Askin B*  
3.8.2009

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

**नोट:-**

1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये 3700-5700 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

*Ashish M*  
3.8.09

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

3.8.09

पृ.क. 791 /234/आउशि/गो.प्र./09,  
प्रतिलिपि:

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

*Ashish M*  
3.8.09

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 814 / 234 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 3.8.09

// आदेश //

विषय:- इतिहास विषय के सहायक प्राध्यापकों का वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार इतिहास विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान रूपये 3000-5000/ 10000-15200 में स्थानन की तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय - इतिहास

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
1.	0810244	डॉ. श्याम मनोहर पचोरी, इतिहास, शा. महा., गढाकोटा	28.09.97	04.03.92
2.	0810156	डॉ. मीना श्रीवास्तव, इतिहास, शा. के आर जी महा., ग्वालियर	01.10.96	15.06.95
3.	0810107	श्रीमती कल्पना स्थापक, इतिहास, शा. नर्मदा महा., होशंगाबाद	24.12.04	24.12.03

Ashis  
3.8.2009

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

- 1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये 3000-5000 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
- 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जाँच/लोकायुक्त जाँच/आर्थिक अपराध जाँच या अन्य कोई भी जाँच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

//2//

3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

*Ashwin*  
3.8.2013

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 815 /234/आउशि/गो.प्र./09,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

3.8.13

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

*Ashwin*  
3.8.2013

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

**कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन**  
**सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004**

क्रमांक 788 / 234 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 3.8.09

**// आदेश //**

**विषय:-** इतिहास विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

**संदर्भ:-** उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार इतिहास विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 3700-5700/12000-420-18300 में स्थानन तिथि में संशोधन किया जाता है :-

**विषय - इतिहास**

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
1.	0810225	श्रीमती आर. अरोरा, इतिहास, शा. महा., पचोर, राजगढ़	31.03.01	10.03.2000
2.	0810232	डॉ. रियाज अहमद मंसुरी, इतिहास, शा. पीजी महा., मण्डला	04.08.01	10.03.2000
3.	0810244	डॉ. श्याम मनोहर पचोरी, इतिहास, शा. महा., गढ़ोकोटा	17.12.01	27.07.98
4.	0810100	श्रीमती ज्योति अवाशे, इतिहास, शा. महा., अंजड़, बड़वानी	08.12.03	01.04.2000
5.	0810221	डॉ. रंजना शर्मा (व्यास), इतिहास, शा. हमीदिया महा., भोपाल	12.10.03	25.09.03

*Ashim*  
3.8.2009

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

**नोट:-**

1-जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये 3700-5700 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

- 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें ।
- 3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।
- उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

*Ashish*  
3.8.2019

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 789 /234/आउशि/गो.प्र./09,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

3-8-09

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

*Ashish*  
3.8.2019

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश